

THE UTTAR PRADESH PROVISIONAL COLLECTION OF TAXES, ACT, 1980

[U.P. ACT NO. 14 OF 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the immediate enforcement of the provisions of the Bills relating to the imposition or increase of fees, taxes or duties

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows :--

- | | |
|---|--|
| Short title | 1- This Act may be called the Uttar Pradesh Provisional Collection of Taxes Act, 1980. |
| Definition | 2- In this Act, a “declared provision” means a provision in a Bill in respect of which a declaration is made under section 3. |
| Power to make declaration | 3- Where a Bill to be introduced in the State Legislature on behalf of the State Government provides for the imposition or increase of any fee, tax or duty (including duty of excise) the State Government may cause to be inserted in the Bill, a declaration that it is expedient in the public interest that any provision in the Bill relating to such imposition or increase shall have immediate effect under this Act. |
| Effect of declaration | 4- (1) A declared provision shall have the force of law immediately on the expiry of the day on which the Bill containing it is introduced. (2) A declared provision shall cease to have the force of law under the provisions of this Act – (a) when it comes into operation as an enactment, with or without amendment; or (b) when the State Government, in pursuance of a motion passed by the State Legislature notifies that it shall cease to have the force of law ; or (c) if it has not already ceased to have the force of law under clause (a) or clause (b), then on the expiry of seventy-fifth day after the day on which the Bill containing it was introduced. |
| Certain refunds to be made when declaration ceases to have effect | 5- (1) Where a declared provision comes into operation as an enactment in an amended form resulting in reduction of rates of such fee, tax or duty, before the expiry of the period specified in clause (c) of sub-section (2) of section 4, refund shall be made of all fees, taxes and duties collected which would not have been collected if the provision adopted in the enactment had been the declared provision: Provided that the rate at which refunds of any fee, tax or duty may be made under this sub-section shall not exceed the difference between the rate of such fee, tax or duty proposed in the declared provision and the rate of such fee, tax or duty in force when the Bill was introduced. (2) Where a declared provision ceases to have the force of law under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 4, refunds shall be made of all fees, taxes or duties collected which would not have been collected if the declaration in respect of it had not been made. |

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1980

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1980}

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

फीस, कर या शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से संबंधित विधेयकों के उपबन्धों को तुरन्त प्रवृत्त करने का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- 1— यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1980 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम
- 2— इस अधिनियम में, "घोषित उपबन्ध" का तात्पर्य किसी विधेयक में ऐसे उपबन्ध से है, जिसके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन कोई घोषणा की जाय। परिभाषा
- 3— यहां राज्य सरकार की ओर से राज्य विधान मंडल में पुरःस्थापित किया जाने वाला कोई विधेयक किसी फीस, कर या शुल्क के (जिसके अन्तर्गत उत्पाद शुल्क भी है) अधिरोपण या उसमें वृद्धि के लिये उपबन्ध करता है, वहां राज्य सरकार उस विधेयक में यह घोषणा अन्तःस्थापित करा सकती है कि लोक-हित में यह समीचीन है कि विधेयक का ऐसे अधिरोपण या वृद्धि से सम्बन्धित कोई उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होगा। घोषणा करने की शक्ति
- 4— (1) घोषित उपबन्ध को, उस दिन की समाप्ति पर ही तुरन्त विधि का बल प्राप्त हो जायगा जिस दिन वह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, जिसमें उक्त उपबन्ध आता है। घोषणा का प्रभाव
- (2) घोषित उपबन्ध का इस अधिनियम के अधीन विधि का बल समाप्त हो जायगा—
- (क) जब वह, संशोधन सहित या रहित, अधिनियमिति के रूप में प्रवृत्त हो जाय; या
- (ख) जब राज्य सरकार, विधान मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह अधिसूचित करें कि विधि का बल समाप्त हो जायगा ; या
- (ग) यदि खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उसका विधि का बल पहले ही समाप्त नहीं हो गया है तो जब उस दिन के पश्चात् पचहत्तरवां दिन समाप्त हो जाय, जिस दिन वह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, जिसमें उक्त उपबन्ध आता है।
- 5— (1) जहां कोई घोषित उपबन्ध धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व संशोधित प्रकार से अधिनियमिति के रूप में प्रवर्तन में आ जाय, जिसके फलस्वरूप ऐसी फीस, कर या शुल्क की दरों में कमी हो जाय, वहां सभी ऐसी संग्रहीत फीस, कर और शुल्क वापस कर दिये जायेंगे, जो यदि अधिनियमिति में अंगीकृत उपबन्ध घोषित उपबन्ध होते तो संग्रहीत नहीं किये जाते :
- परन्तु वह दर जिस पर इस उपधारा के अधीन कोई फीस, कर या शुल्क वापस किया जाय, घोषित उपबन्ध में प्रस्तावित ऐसी फीस, कर या शुल्क की दर और विधेयक पुरःस्थापित करने के समय प्रवृत्त ऐसी फीस, कर या शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी।
- (2) जहां किसी घोषित उपबन्ध का धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधि का बल समाप्त हो गया है, वहां सभी ऐसी संग्रहीत फीस, कर या शुल्क वापस कर दिये जायेंगे, जो यदि उसके सम्बन्ध में घोषणा न की गयी होती तो संग्रहीत नहीं किये जाते।

घोषणा के प्रभावहीन होने पर कतिपय धनराशियों का वापस किया जाना